श्री राघवेन्द्र सिंह, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, बक्सर की अध्यक्षता में दिनांक 29.10.2018 को जिला स्तरीय पदाधिकारियों एवं प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों के साथ सम्पन्न साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति : उपस्थिति पंजी में संधारित।

कार्यवाही

बैठक में निम्नवत् समीक्षा की गई एवं आवश्यक निदेश दिये गये–

1. **लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमण्डल** :–

खराब पड़े चापकलों की मरम्मति की समीक्षा की गई। कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमण्डल, बक्सर, प्रमण्डल स्तरीय बैठक में भाग लेने हेतु मुख्यालय से बाहर गये हैं। उनके प्रतिनिधि के रूप में बैठक में उपस्थित कनीय अभियंता के द्वारा बताया गया कि उनके जिम्मे तीन प्रखण्ड है तथा तीन प्रखण्डों को मिलाकर कुल 144 चापाकल खराब है, जिसमें से 40 की अबतक मरम्मति कराई गई है। कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमण्डल, बक्सर को निदेशित किया जाता है कि खराब पड़े सभी चापाकलों की मरम्मति करायें ताकि पेयजल की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होने पाए।

(अनु0: कार्यपालक अभियंता, लोक स्वा0अभि0प्र0, बक्सर)

2. **पशुपालन** :– सुखाड़ को देखते हुए पशु चारा की आवश्यकता की समीक्षा के क्रम में जिला पशुपालन पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि पशु चारा उपलब्ध है तथा वर्तमान में कोई आवश्यकता नहीं है।

पशुओं के टीकाकरण की समीक्षा की गई। जिला पशुपालन पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि टीकाकरण कार्य नवम्बर में प्रारम्भ होना है, परन्तु अभी इसके लिए तिथि निर्धारण से संबंधित पत्र नहीं आया है।

पशुओं के पेयजल हेतु बक्सर जिला के लिए 20 सौर चलित पम्पसेट लगाया जाना है। इसकी समीक्षा के क्रम में जिला पशुपालन पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि पाँच स्थानों पर पम्प सेट लगाने हेतु अंचलों से भूमि का प्रस्ताव प्राप्त किया गया है। निदेशित किया गया कि विभाग को प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही शेष अंचलों से भूमि का प्रस्ताव प्राप्त करें।

(अनु0: जिला पशुपालन पदाधिकारी)

3. **विद्युत** :– विद्युत विभाग के कर्मियों के हड़ताल से वापस आने तथा सूचारू रुप से कार्य किये जाने की समीक्षा की गई। विद्युत कार्यपालक अभियंता, आपूर्ति द्वारा बताया गया कि अधिकांश कर्मी वापस आ गये हैं तथा कार्य सूचारू रूप से संचालित हो रहा है। विद्युत आपूर्ति के संबंध में बताया गया कि शहरी क्षेत्र में 22–23 घंटे एवं ग्रामीण क्षेत्र में 20–22 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। बैठक में बताया गया कि चौसा के ग्रामीणों के द्वारा जानकारी दी गई है कि 5–6 घंटा विद्युत आपूर्ति बाधित की जा रही है, जिसके कारण सिंचाई कार्य में बाधा उत्पन्न हो रहा है। कार्यपालक अभियंता के द्वारा बताया गया कि आवश्यक कार्यवश सटडाउन किया जाता है। निदेशित किया गया कि सिंचाई को ध्यान में रखते हुए कम से कम समय के लिए सटडाउन लें।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि नगर परिषद, बक्सर के पथों पर LED बल्ब लगाने का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद को निदेशित किया जाता है कि विद्युत कार्यपालक अभियंता, आपूर्ति से समन्वय स्थापित कर यह कार्य शीघ्र पूर्ण करायें।

(अनु0: विद्युत कार्यपालक अभियंता, आपूर्ति/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद)

4. नगर विकास :– नगर परिषद, बक्सर के द्वारा कचरा डम्प करने हेतु स्थल प्राप्ति के समीक्षा के क्रम में सहायक, नगर परिषद के द्वारा बताया गया कि वर्तमान में वार्ड संख्या 33 में 10 कठ्ठा भूमि चिन्हित किया गया है।

कार्यपालक पदाधिकारी को निदेशित किया गया किया कि नई बाजार में राम जानकी मंदिर के पास अविस्थत पोखर एवं पार्क की साफ–सफाई सुनिश्चित करायें। साथ ही उसके बगल में अवस्थित भूखण्ड को विकसित करने का निदेश दिया गया।

पालीथीन पर दिनांक 25.11.2018 से रोक लागू होना है। कार्यपालक पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि इसका प्रचार–प्रसार करायें ताकि लोगों को पूर्ण जानकारी हो सके। इस हेतु होर्डिंग, बैनर, लगाने एवं हैण्डबील वितरण कराने हेतु भी कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही निदेशित किया गया कि पुराना सदर अस्पताल के पास सिविल लाईन्स क्लब में एक बहुत बडा भू–खण्ड उपलब्ध है, जिसका चहारदीवारी निर्माण भी हुआ है, उक्त भूमि के बारे में जानकारी प्राप्त करें तथा पार्क आदि के निर्माण की दिशा में कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

(अनु0: कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बक्सर)

5. स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन :–कब्रिस्तान घेराबंदी की समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल, बक्सर के द्वारा बताया गया कि इस हेतु राशि प्राप्त हो गई है। जिला योजना पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि प्राथमिकता सूची तैयार किये जाने हेतु शीघ्र बैठक आहूत करायें।

(अनु0 जिला योजना पदाधिकारी, बक्सर)

6. बाढ़ नियंत्रण :– कटाव निरोधक कार्य की समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, बक्सर के द्वारा बताया गया कि 465 मीटर में कार्य कराये जाने हेतु योजना विभाग को भेजा गया है। अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरांव के द्वारा छठ घाट के निरीक्षण के क्रम में नैनीजोर के पास कटाव होने की सूचना दी गई है। इस क्रम में कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, बक्सर को निदेशित किया गया कि उक्त स्थल का भ्रमण कर कटाव निरोधक कार्य करें। साथ ही खतरनाक चिन्हित घाटों पर भी आवश्यक कार्य सुनिश्चित करेंगे।

(अनु0 : कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, बक्सर)

7. जल संसाधन विभाग :– कार्यपालक अभियंता, सोन नहर प्रमण्डल के द्वारा बताया गया कि 83 प्रतिशत सिंचाई हो गया है। सांथ में पानी लाया जा रहा है। उनके द्वारा बताया गया कि महदह में पानी रोक जा रहा है। इस क्षेत्र के अभियंता विधि–व्यवस्था कार्य में अन्यत्र प्रतिनियुक्ति है। विशेष कार्य पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि वर्तमान में सिंचाई विभाग के प्रतिनियुक्ति अभियंताओं की प्रतिनियुक्ति रद्द कराते हुए किसी अन्य की प्रतिनियुक्ति करायें।

गंगा पम्प नहर के द्वारा सिंचाई की समीक्षा की गई। रामपुर एवं सोनपा में अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुँचा है। इसे पहुँचाने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही चुआड़ में पानी पहुँचाने की व्यवस्था की जा रही है।

बैठक में अवगत कराया गया कि नहरों की सुरक्षा एवं सुचारू रूप से पानी अंतिम छोर तक पहुँचाने हेतु दण्डाधिकारी एवं बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। यह प्रतिनियुक्ति अगले आदेश तक जारी रहेगी। निदेशित

किया गया कि यदि कहीं समस्या हो तो संबंधित टीम से समन्वय स्थापित कर बिना बाधा के अंतिम छोर तक पानी पहुँचाने की व्यवस्था करें।

(अनु0 : कार्यपालक अभियंता, सोन नहर प्रमण्डल,बक्सर / कार्यपालक अभियंता, गंगा पम्प नहर, बक्सर)

8. भवन प्रमण्डल :– समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल के द्वारा बताया गया कि परिवहन विभाग का भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है। निबंधन कार्यालय के भवन निर्माण हेतु स्वीकृति विभाग से प्राप्त नहीं हुई है। कार्यपालक अभियंता को जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के आवास निर्माण हेतु अंचल अधिकारी, बक्सर से अनापत्ति की मांग करने का निदेश दिया गया। पदाधिकारियों एवं कर्मियों के लिए नव निर्मित हो रहे आवास निर्माण की विभिन्न स्तरों से की गई निरीक्षण के क्रम में पाई गई त्रुटियों का निराकरण करने का निदेश कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल को दिया गया। साथ ही निदेशित किया गया कि जलापूर्ति हेतु लगाये गये टंकी के लिए सुरक्षात्मक कार्य करायें ताकि बंदर आदि से क्षतिग्रस्त नहीं होने पाये।

(अनु0 कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल)

9. लघु सिंचाई :– मुख्यमंत्री शताब्दी नलकूप योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। उप विकास आयुक्त के द्वारा बताया गया कि 26.00 लाख रुपये अनुदान हेतु प्राप्त हुए थे, जिसका वितरण किया गया है। 300 नलकूप का अनुदान वितरण अवशेष है। उनके द्वारा बताया गया कि नलकूपों के सत्यापन हेतु कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई को निदेशित किया गया था, जिसका अनुपालन नहीं हुआ है। कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई को निदेशित किया जाता है कि दिये गये लक्ष्य के अनुसार नलकूपों की सत्यापन करा कर प्रतिवेदन भेजे।

नलकूपों की मरम्मति की समीक्षा की गई। बैठक में उपस्थित सहायक अभियंता के द्वारा बताया गया कि विद्युत दोष से बंद पड़े 05 नलकूपों की मरम्मति कार्रवाई की जा रही है।

विभागीय निदेश के आलोक में नलकूपों के संचालन हेतु संस्था/व्यक्तिगत आवेदकों को देने की समीक्षा की गई। इस क्रम में सहायक अभियंता के द्वारा बताया गया कि चौसा में एक नलकूप दी गई है। शेष स्थानों पर देने हेतु तैयारी की जा रही है।

(अनु0 : कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई)

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

ज्ञापांक 10-3696 **/गो0 बक्सर दिनांक** 9/11/ **2018**

प्रतिलिपिः	सभी अंचल अधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बक्सर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः	आई0टी0 मैनेजर, बक्सर को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बक्सर एवं डुमराँव/सभी कार्यपालक अभियंता, बक्सर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः–	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बक्सर एवं डुमराँव/सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/सभी संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारी, बक्सर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–	विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, बक्सर/सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी–सह–मेंटर्स/अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमराँव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः–	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन/सिविल सर्जन, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः–	उप विकास आयुक्त/अपर समाहर्त्ता, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/11/18

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।